"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 दिसम्बर 2012—पौष 7, शक 1934

विषय—सूची

भाग १

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2012

क्रमांक ई-01-02/2012/एक/2.— डॉ. बी. एल. तिवारी, भा.प्र.से. (सी.जी.-1996), आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त-सह-संचालक, भू-अभिलेख, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

2. डॉ. बी. एल. तिवारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. बी. एल. अग्रवाल, भा.प्र.से., सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा पदेन राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त तथा आयुक्त-सह-संचालक, भू-अभिलेख एवं सचिव, सामान्य प्रशासन, जन शिकायत निवारण विभाग केवल आयुक्त-सह-संचालक, भू-अभिलेख, रायपुर के प्रभार से मुक्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनिल कुमार, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

नया रायपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2012

क्रमांक ई-1-2/2012/एक/2.— श्री ईमिल लकड़ा, भा.प्र.से., मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, छ.ग., रायपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. ढांड, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2012

क्रमांक ई 7-07/2003/1/2.— इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23-11-2012 द्वारा डॉ. बी. एल. अग्रवाल, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 19-11-2012 से 27-11-2012 तक (09 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 19-11-2012 से 24-11-2012 तक (06 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 17, 18 एवं 25 नवंबर 2012 के राजपत्रित अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. उक्त आदेश की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एल. ताम्रकार, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2012

क्रमांक 9174/21-अ/स्था./छ.ग./2012.—राज्य शासन, इस विभाग के आदेश क्र. 8474-8475/1615/21-अ/छ.ग./2011 रायपुर दिनांक 30-11-2011 को अधिष्ठित करते हुए वर्ष 2012 में अधिवार्षिकीय आयु 60 वर्ष पूर्ण करने के फलस्वरूप तालिका में अंकित अधिकारी के नाम से समक्ष स्तंभ क्रमांक 4 में उल्लेखित दिनांक से सेवानिवृत्त किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम तथा पदनाम (2)	जन्मतिथि (3)	सेवानिवृत्ति दिनांक (4)
1.	श्रीमती बिबियाना कुजूर, उप-सचिव	10-11-1952	30-11-2012

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामंतराय, सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 नवम्बर 2012

क्रमांक/1151/1016/दो गृह/भापुसे/2012.—श्री एम. डब्ल्यू. अंसारी, भा.पु.से., संचालक, लोक अभियोजन, छ. ग. को दिनांक 19-11-2012 से दिनांक 27-11-2012 (09 दिवस) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 18 एवं दिनांक 28-11-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अंसारी, आगामी आदेश तक संचालक, लोक अभियोजन, छ.ग. के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री एम. डब्ल्यू. अंसारी को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. डब्ल्यू. अंसारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 6 नवम्बर 2012

क्रमांक/1158/1004/दो गृह/भापुसे/2012.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 1126/1004/दो-गृह/भापुसे/2012, दिनांक 05-11-2012 जिसके द्वारा श्री रामगोपाल गर्ग, भा.पु.से., पुलिस अधीक्षक, गरियाबंद को दिनांक 12-11-2012 से दिनांक 24-11-2012 (13 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 10, 11 एवं दिनांक 25-11-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की गई है.

2. राज्य शासन द्वारा श्री रामगोपाल गर्ग, पुलिस अधीक्षक, गरियाबंद के उक्त अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, गरियाबंद का प्रभार श्री शेख आरिफ हुसैन, पुलिस अधीक्षक, एस.टी.एफ., बघेरा, दुर्ग को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

रायपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2012

क्रमांक 1238/1045/दो गृह/भापुसे/2012.—श्री शेख आरिफ हुसैन, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, बघेरा, दुर्ग को दिनांक 03-11-2012 से दिनांक 06-11-2012 तक कुल (04 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री हुसैन आगामी आदेश तक पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, बघेरा, दुर्ग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री हुसैन को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हुसैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुनील विजयवर्गीय, अवर सचिव.

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2012

क्रमांक एफ 01-54/31/स्था./2010.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री इन्द्रजीत उईके अधीक्षण अभियंता (सिविल) को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मुख्य अभियंता (सिविल) के पद पर, पुनरीक्षित वेतन बैंड रुपये 37400-67000/- ग्रेड वेतन रुपये 8900/- में पदोन्नत करते हुए अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक मुख्य अभियंता, मिनीमाता हसदेव (बांगो) परियोजना बिलासपुर में पदस्थ करता है.

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नियमों/आदेशों का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम मनोहर पाठक, अवर सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2012

क्रमांक एफ 1-10/2006/16.—विभागीय आदेश क्रमांक एफ 1-10/2006/16, दिनांक 10-03-2010 द्वारा श्री ज्ञानेन्द्र मौर्य को छ.ग. श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 की धारा 4(4) के प्रावधानों के तहत् श्रम कल्याण मंडल में उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई थी.

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 10-03-2010 के अनुक्रम में राज्य शासन एतद्द्वारा छ.ग. श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 की धारा 6 (2) में उल्लेखित प्रावधानानुसार पूर्व अधिकारी की पदावधि के अनुवसित भाग के लिए श्री नारायण तिवारी निवासी बिलासपुर को छ.ग. श्रम कल्याण मंडल के उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. कुंदानी, अवर सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2012

क्रमांक एफ 9-58/दो-गृह/परीक्षा/2012.—पंजीयन विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 21 अगस्त, 2012 को प्रश्न पत्र "पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया" (केवल अधिनियम तथा नियम की पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्रीमती लिलि पुष्प लता बेक	उप पंजीयक	उच्च स्तर से उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्री फुलजोन्स टोप्पो	उ. श्रे. मोहर्रिर	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
3.	श्री रामकुमार धिलाहरे	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
4.	श्री घनश्याम सिंह ठाकुर	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2012

क्रमांक एफ 9-60/दो-गृह/परीक्षा/2012.—वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 21 अगस्त, 2012 को प्रश्न पत्र "विधि तथा प्रक्रिया" (केवल नियमों की पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र जगदलपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री गोपाल दास मानिकपुरी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	सश्रेय से उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र बिलासपुर	
2.	श्री सौरभ बासु	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	सश्रेय से उत्तीर्ण
3.	श्री विकास कुमार गोस्वामी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2012

क्रमांक एफ 9-62/गृह-दो/परीक्षा/2012.—सामान्य प्रशासन राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 22 एवं 23 अगस्त, 2012 को "प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया" प्रथम प्रश्न पत्र भाग बी एवं सी (बिना पुस्तकों) द्वितीय प्रश्न पत्र (पुस्तकों सहित) तृतीय प्रश्न पत्र (आदेश का लिखा जाना) में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है. निम्नांकित परीक्षार्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रश्न पत्र में अपेक्षित स्तर अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप आगामी परीक्षा में बैठने से छूट प्रदान की जाती है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

क्र. (1)	परीक्षार्थी (2)	पदनाम (3)	सम्मिलित प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री तिलक राम यदु	राजस्व निरीक्षक	तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्री नारायण सिंह चंद्राकर	राजस्व निरीक्षक	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
3.	श्री संजीव कुमार झा	सहायक कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में सश्रेय से उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	श्री निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर	सहायक कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण तृतीय में सश्रेय से उत्तीर्ण

परीक्षा केन्द्र जगदलपुर

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	श्री सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे	सहायक कलेक्टर	प्रथम में सश्रेय से उत्तीर्ण द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण
6.	श्री किशोर चंद्र जोशी	राजस्व निरीक्षक	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
7.	श्री सुशील कुमार पाण्डे	राजस्व निरीक्षक	तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
8.	श्री दिवाकर प्रसाद पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
9.	सुश्री सतरूपा साहू	राजस्व निरीक्षक	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
10.	श्री सौरभ कुमार	सहायक कलेक्टर	द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण
11.	श्री तंबोली अय्याज फकीरभाई	सहायक कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में सश्रेय से उत्तीर्ण
12.	श्री अर्जुन कुमार श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक	तृतीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

(1)	(2)	(3)	(4)
13.	श्री चंदन कुमार	सहायक कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
14.	श्री दीपक सोनी	सहायक कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण

परीक्षा केन्द्र अंबिकापुर

(1)	(2)	(3)	(4)
15.	श्री देवेन्द्र चौधरी	नायब तहसीलदार	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2012

क्रमांक एफ 9-65/दो-गृह/परीक्षा/2012.—पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 22 अगस्त, 2012 को प्रश्न पत्र "समाज शिक्षा" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	सुश्री बीना दीक्षित	पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
	परीक्षा केन्द्र जगदलपुर		
2.	श्री सुखेन्द्र प्रताप सिंह	पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक	सश्रेय से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2012

क्रमांक एफ 9-67/दो-गृह/परीक्षा/2012.—वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23 अगस्त, 2012 को प्रश्न पत्र "पुस्तपालन तथा कर निर्धारण" (पुस्तकों सहित केवल अधिनियम) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है.

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री सौरभ बासु	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्री विकास कुमार गोस्वामी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र जगदलपुर		
3.	श्री गोपाल दास मानिकपुरी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2012

क्रमांक एफ 9-68/दो-गृह/परीक्षा/2012.—सहायक वन संरक्षकों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23 अगस्त, 2012 को प्रश्न पत्र प्रथम "वन विधि" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है.

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री चुड़ामणि सिंह	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र जगदलपुर		
2.	श्री बी. विवेकानंद रेड्डी	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण
3.	श्री श्रीनिवास तेन्नेटी	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण
4.	श्री संजय कुमार यादव	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण
5.	श्री अभिषेक कु. सिंह	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2012

क्रमांक एफ 9-69/दो-गृह/परीक्षा/2012.—विक्रय कर विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23 अगस्त, 2012 को प्रश्न पत्र "कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है.

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री सौरभ बासु	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्री विकास कुमार गोस्वामी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	सश्रेय से उत्तीर्ण

परीक्षा केन्द्र जगदलपुर

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	उत्तीर्ण होने का स्तर
3.	श्री गोपाल दास मानिकपुरी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2012

क्रमांक एफ 9-71/दो-गृह/परीक्षा/2012.—सहायक वन संरक्षकों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23 अगस्त, 2012 को प्रश्न पत्र "सामान्य विधि" (पुस्तकों सहित) के द्वितीय प्रश्न पत्र विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है.

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री विवेकानंद बी. रेड्डी	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण
2.	श्री श्रीनिवास तेन्नेटी	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण
3.	श्री मणिवासगन एस.	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण
4.	श्री अभिषेक कु. सिंह	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2012

क्रमांक एफ 9-73/दो-गृह/परीक्षा/2012.—सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 24 अगस्त, 2012 को प्रश्न पत्र "लेखा" प्रथम प्रश्न पत्र (बिना पुस्तकों) के द्वितीय प्रश्न पत्र (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण

घोषित किया जाता है.

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर	सहायक कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र जगदलपुर		
2.	श्री सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे	सहायक कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र अंबिकापुर		
3.	श्री भोसकर विलास संदिपान	सहायक कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र रायपुर		
4.	श्री नारायण सिंह चंद्राकर	राजस्व निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2012

क्रमांक एफ 9-92/गृह-दो/परीक्षा/2012.—सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदार, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकासखण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकासखंड अधिकारी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिये विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 25-08-2012 को प्रश्न पत्र "पंचायत राज प्रशासन (विधि तथा प्रक्रिया)" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है.

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री नारायण सिंह चंद्राकर	राजस्व निरीक्षक	सश्रेय से उत्तीर्ण
2.	श्री उपेन्द्र बघमार	राजस्व निरीक्षक	सश्रेय से उत्तीर्ण
3.	श्री संजीव कुमार झा	सहायक कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
4.	श्री निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर	सहायक कलेक्टर	उच्च स्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
5.	श्री चन्दन कुमार	सहायक कलेक्टर	उच्च स्तर से उत्तीर्ण
6.	श्री दीपक सोनी	सहायक कलेक्टर	उच्च स्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र जगदलपुर		
7.	श्री सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे	सहायक कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र अंबिकापुर		
8.	श्री भोसकर विलास संदिपान	सहायक कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2012

क्रमांक एफ 9-72/दो-गृह/परीक्षा/2012.—पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23 अगस्त, 2012 को प्रश्न पत्र "स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्रीमती बीना दीक्षित	पंचायत एवं समाज सेवा संगठक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र जगदलपुर	
2.	श्री सुखेन्द्र प्रताप सिंह	पंचायत एवं समाज सेवा संगठक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2012

क्रमांक एफ 9-75/दो-गृह/परीक्षा/2012.—उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 24 अगस्त, 2012 को प्रश्न पत्र "लेखा" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र जगदलपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री त्रिलोकचंद मेवाड़े	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2012

क्रमांक एफ 9-79/दो-गृह/परीक्षा/2012.—पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 25 अगस्त, 2012 को प्रश्न पत्र "लेखा" प्रथम प्रश्न पत्र (बिना पुस्तकों के) द्वितीय प्रश्न पत्र (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	डॉ. मोहन लाल शेण्डे	सहा. शल्यज्ञ	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
		परीक्षा केन्द्र जगदलपुर	
2.	डॉ. आर. के. शर्मा	सहा. शल्यज्ञ	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
3.	डॉ. सुरेन्द्र कुमार नाग	सहा. शल्यज्ञ	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र अंबिकापुर	
4.	डॉ. नंदलाल यादव	सहा. शल्यज्ञ	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
5.	डॉ. अनिल चौहान	सहा. शल्यज्ञ	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2012

क्रमांक एफ 9-80/दो-गृह/परीक्षा/2012.—मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 25 अगस्त, 2012 को प्रश्न पत्र "लेखा" प्रथम प्रश्न पत्र (बिना पुस्तकों के) एवं द्वितीय प्रश्न पत्र विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र जगदलपुर

क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	उत्तीर्ण होने का स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री मनोज पैकरा	सहायक संचालक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्री मोहन लाल राणा	सहायक संचालक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र रायपुर	
3.	श्रीमती मधु खाखा	सहायक संचालक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2012

क्रमांक एफ 9-81/दो-गृह/परीक्षा/2012.—पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 25 अगस्त, 2012 को प्रश्न पत्र "लेखा" प्रथम प्रश्न पत्र (बिना पुस्तकों के) द्वितीय प्रश्न पत्र (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र जगदलपुर

क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	उत्तीर्ण होने का स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री हरिलाल देवांगन	यांत्रिकी सहायक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्री छगन लाल बिसेन	यांत्रिकी सहायक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2012

क्रमांक एफ 9-84/दो-गृह/परीक्षा/2012.—सहायक वन संरक्षकों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 25 अगस्त, 2012 को तृतीय प्रश्न पत्र "प्रक्रिया तथा लेखा" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	कु. शमा फारूकी	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र जगदलपुर		
2.	श्री अभिषेक कु. सिंह	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण
3.	श्री श्रीनिवास तेन्नेटी	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण
4.	श्री बी. विवेकानंद रेड्डी	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण
5.	श्री अशोक कुमार पटेल	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण
6.	श्री जितेंद्र उपाध्याय	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण
7.	संजय कुमार यादव	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण
8.	श्री मणिवासगन एम.	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2012

क्रमांक एफ 9-86/दो-गृह/परीक्षा/2012.—सभी विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 27 अगस्त, 2012 को प्रश्न पत्र "हिन्दी" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर	सहायक कलेक्टर	उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र जगदलपुर		
2.	श्री सुखेन्द्र प्रताप सिंह	पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2012

क्रमांक एफ 9-89/दो-गृह/परीक्षा/2012.—ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 22 अगस्त, 2012 को "लेखा एवं स्थापना" (बिना पुस्तकों के) प्रश्न पत्र-4 विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को

उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री शेखरचंद देवांगन	उप अभियंता	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2012

क्रमांक एफ 9-91/दो-गृह/परीक्षा/2012.—ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23 अगस्त, 2012 को प्रश्न पत्र "Insulation Co-ordination & Hazardous Area" (Without Books) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री सुरेश कुमार साहू	उप अभियंता	उत्तीर्ण
2.	श्री शेखरचंद देवांगन	उप अभियंता	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2012

विभागीय परीक्षा माह जनवरी, 2013 का सूचना तथा कार्यक्रम

क्रमांक एफ 9-118/दो-गृह/सामान्य (परीक्षा)/2012.—छत्तीसगढ़ शासन के उन अधिकारियों को (जिनके लिये विभागों द्वारा विभागीय परीक्षा निर्धारित की गई हो) विभागीय परीक्षा सोमवार, दिनांक 28 जनवरी, 2013 से 02 फरवरी, 2013 तक रायपुर/बिलासपुर/बस्तर (जगदलपुर) तथा सरगुजा संभाग के आयुक्तों द्वारा नियत किये जाने वाले स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के अनुसार होगी. नीचे सूची में दर्शाये अनुसार विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष अपनी जानकारी उपरोक्तानुसार संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को उपलब्ध करायें.

सोमवार, दिनांक 28-01-2013

क्रमांक (1)	प्रश्नपत्र (2)	समय (3)
1.	पहला प्रश्नपत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए.	**प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.**
2.	पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियम की पुस्तकों सहित)	

(1)	(2)	(3)
3.	विधि तथा प्रक्रिया-उत्पादन शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
4.	विधि तथा प्रक्रिया-विक्रय कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित)	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
5.	पहला प्रश्नपत्र-सहकारिता (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये	
59.	विद्युत संबंधी विधियां-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
	सोमवार, दिनांक 28-01-2013	
6.	दूसरा प्रश्नपत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना भू-अभिलेख विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.	
7.	दूसरा प्रश्नपत्र सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
8.	समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
60.	भू-योजना तथा विद्युत सुरक्षा-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
	मंगलवार, दिनांक 29-01-2013	
9.	पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-"ए" आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
10.	पहला प्रश्नपत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-"बी".	
11.	पहला प्रश्नपत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-"सी".	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
12.	उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये	
13.	प्रश्नपत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित) (नैसर्गिक संसाधन) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
14.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रथम प्रश्नपत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना-पुस्तकों के).	
61.	विद्युत संस्थापनायें ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना-पुस्तकों के)	

मंगलवार, दिनांक 29-01-2013

(1)	(2)	(3)
15.	दूसरा प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व भू-अभिलेख, आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
16.	प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्यों के साधनों राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
17.	तीसरा प्रश्नपत्र बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
18.	समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
19.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-द्वितीय प्रश्नपत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
62.	लेखा व स्थापना ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के)	

बुधवार, दिनांक 30-01-2013

(1)	(2)	(3)
20.	तीसरा प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया, राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	
21.	पुस्तपालन तथा कर निर्धारण विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
22.	प्रश्नपत्र प्रथम वन विधि (बिना पुस्तकों के) सहायक वन संरक्षकों के लिये	
23.	पहला प्रश्नपत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये	
24.	पुलिस अधिकारियों की "व्यवहारिक शाखा" प्रश्नपत्र	
63.	स्विच गेयर तथा संरक्षण ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	

बुधवार, दिनांक 30-01-2013

(1)	(2)	(3)
25.	कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये	
26.	सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
27.	पुलिस अधिकारियों की "पुलिस शाखा" प्रश्नपत्र (बिना पुस्तकों के)	
28.	दूसरा प्रश्नपत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये	
29.	तीसरा प्रश्नपत्र सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये	

(1)	(2)	(3)
30.	स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
31.	चौथा प्रश्नपत्र सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1, लेखा भाग-2 सहकारिता लेखा परीक्षण सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
32.	समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित) आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
64.	विद्युत रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्ट इंशूलेशन को-आर्डिनेशन व हजार्ड एस. एरिया ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री (वि. सु.) के लिये (बिना पुस्तकों के)	

गुरुवार, दिनांक 31-01-2013

(1)	(2)	(3)
33.	प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब-तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	
34.	प्रश्नपत्र-प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के) आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
35.	प्रश्नपत्र प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
36.	प्रश्नपत्र न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के) पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये	
37.	लेखा (पुस्तकों सहित) उत्पाद शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये	
38.	लेखा (लेखा पुस्तकों सहित) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये	
39.	लेखा (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये	
40.	लेखा (पुस्तकों सहित) नैसर्गिक संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिये	

गुरुवार, दिनांक 31-01-2013

(1)	(2)	(3)
41.	लेखा (पुस्तकों सहित) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये	
42.	द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा (पुस्तकों सहित) डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
43.	द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा (पुस्तकों सहित) आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
44.	द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा (पुस्तकों सहित) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	

शुक्रवार, दिनांक 01-02-2013

(1)	(2)	(3)
45.	सिविल पशुचिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये प्रश्नपत्र भाग-1 (बिना पुस्तकों के) पशुचिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
46.	प्रथम प्रश्नपत्र लेखा भाग-1 मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
47.	प्रथम प्रश्नपत्र लेखा (पुस्तकों सहित) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
48.	प्रथम प्रश्नपत्र विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) डेयरी विभाग के अधिकारियों के लिये	
49.	प्रश्नपत्र-द्वितीय छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
50.	द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये	
65.	पंचायत राज प्रशासन (विधि तथा प्रक्रिया) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकास खण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकास खंड अधिकारी के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिये.	

शुक्रवार, दिनांक 01-02-2013

(1)	(2)	(3)
51.	सिविल पशुचिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों का लेखा प्रश्नपत्र भाग-2 पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
52.	प्रश्नपत्र लेखा भाग-2 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये	
53.	सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामले में आदेश/प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित)	
54.	तृतीय प्रश्नपत्र प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये	
55.	द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) कृषि कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
56.	द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये	
57.	प्रश्नपत्र तृतीय अनु. जाति तथा आदिवासी (अनु. जनजाति) विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	

शनिवार, दिनांक 02-02-2013

(1)	(2)	(3)
58.	हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.

नोट :-

1. सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और राजस्व आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ 3-54/98/दो-ए (3), दिनांक 19-03-99 एवं एफ 3-102/90/दो-ए (3) के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया है.

2. उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें लानी होगी.

3. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपना नाम उचित माध्यम से सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये. यह भी स्पष्ट किया जावे कि परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का भी उल्लेख किया जावे.

4. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1/15/77/-1/ह.स. से दिनांक 15 जनवरी, 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. अत: ऐसे परीक्षार्थी तत्संबंध में अपना प्रमाण-पत्र अपने संबंधित परीक्षा केन्द्र के आयुक्तों को प्रस्तुत करेंगे.

   इन प्रमाण-पत्रों को गृह (सामान्य) विभाग, (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) को नहीं भेजे जावें. संबंधित विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष/परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ प्रमाण-पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 31-12-2012 तक भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण-पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से संबंधित परीक्षा केन्द्र आयुक्त को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. ये प्रमाण-पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.

5. समस्त परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण-पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनको शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एस. केन, संयुक्त सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2012

क्रमांक एफ 5-57/2008/10-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, घोषित करती है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को उक्त अनुसूची के कॉलम

(6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति तथा सीमाओं सहित आरक्षित वन के रूप में बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला- दंतेवाड़ा, तहसील-कोंटा, वन मण्डल-सुकमा, परिक्षेत्र- जगरगुण्डा

स.क्र.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का नम्बर एवं राजस्व ग्राम जहां वन खण्ड स्थित है	खसरा नंबर	क्षेत्रफल हेक्टेयर में		अवस्थिति/सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
1.	अचकट	15 अचकट	151	4.725	**उत्तर :**	कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 1 से मुनारा क्र. 2 तक.
					पूर्व :	कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 2 से मुनारा क्र. 7 तक.
					दक्षिण :	कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 7 से मुनारा क्र. 8 तक.
					पश्चिम :	कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 8 से मुनारा क्र. 1 तक.
		योग	1	**4.725**		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. टी. नंदी, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2012

क्रमांक एफ 5-57/2008/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-57/2008/10-2, दिनांक 05-12-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. टी. नंदी, विशेष सचिव.

Raipur, the 5th December 2012

No. F 5-57/2008/10-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute land specified in the Schedule below with the situation and limits as specified in column (6) of said schedule, as reserve

forest namely :—

SCHEDULE

District-Dantewada, Tehsil-Konta, Forest Division-Sukma, Forest Range-Jagergunda

S. No.	Name of Forest Block	Patwari Halka No. and Revenue Village where Block situated	Khasara Numbers	Area in Hectare	Situation/Limit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	Achkat	15 Achkat	151	4.725	North :	Artificial Boundary line from Survey pillar No. 1 to pillar No. 2.
					East :	Artificial Boundary line from Survey pillar No. 2 to pillar No. 7.
					South :	Artificial Boundary line from Survey pillar No. 7 to pillar No. 8.
					West :	Artificial Boundary line from Survey pillar No. 8 to pillar No. 1.
		Total	**1**	**4.725**		

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. T. NANDY, Special Secretary.

रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2012

क्रमांक एफ 5-33/2009/10-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (केन्द्रीय अधिनियम 1927 का 16) की धारा (4) की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, घोषित करती है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति तथा सीमाओं सहित आरक्षित वन के रूप में बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला- कांकेर, तहसील-अंतागढ़, वन मण्डल-पूर्व भानुप्रतापपुर, वन परिक्षेत्र- अंतागढ़

स.क्र.	वन खण्ड का नाम	प.ह.नं. एवं राजस्व ग्राम जहां वन खण्ड स्थित है	खसरा नंबर	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	अवस्थिति/सीमाएं	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	हल्बासिकसोड़ ‘‘ए’’	2 हल्बासिकसोड़	19	0.150	**उत्तर :**	कृत्रिम सीमा रेखा के सर्वे मुनारा क्र. 1 से 3 तक.
			41	32.400	**पूर्व :**	कृत्रिम सीमा रेखा के सर्वे मुनारा क्र. 3 से 17 तक.
			151	23.100	**दक्षिण :**	कृत्रिम सीमा रेखा के सर्वे मुनारा क्र. 17 से 29 तक.
			152	39.090	**पश्चिम :**	कृत्रिम सीमा रेखा के सर्वे मुनारा क्र. 29 से 35 एवं 35 से 1 तक.
			169	1.500		
		योग	**5**	**96.240**		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	हल्बासिकसोड़ "बी"	2 हल्बासिकसोड़	301	0.150	**उत्तर :**	कृत्रिम सीमा रेखा के सर्वे मुनारा क्र. 1 से 10 तक.
			302	28.400	**पूर्व :**	कृत्रिम सीमा रेखा के सर्वे मुनारा क्र. 10 से 20 तक.
			303	16.500	**दक्षिण :**	कृत्रिम सीमा रेखा के सर्वे मुनारा क्र. 20 से 24 तक.
			321	18.490	**पश्चिम :**	कृत्रिम सीमा रेखा के सर्वे मुनारा क्र. 24 से 31 एवं 31 से 1 तक.
		योग	**4**	**63.540**		
	हल्बासिकसोड़ "सी"	2 हल्बासिकसोड़	11	0.950	**उत्तर :**	संरक्षित वन हल्बासिकसोड़ कक्ष क्र. पी 437 के सीमा रेखा मुनारा क्र. 67, 67 से कृत्रिम सीमा रेखा के सर्वे मुनारा क्र. 1 एवं 1 से 4 तक.
			72	0.650	**पूर्व :**	कृत्रिम सीमा रेखा के सर्वे मुनारा क्र. 4 से 6 तक.
			73	0.100	**दक्षिण :**	कृत्रिम सीमा रेखा के सर्वे मुनारा क्र. 6 से 10 तक.
			102	27.610	**पश्चिम :**	कृत्रिम सीमा रेखा के सर्वे मुनारा क्र. 10 से 14 एवं 14 से संरक्षित वन हल्बासिकसोड़ कक्ष क्र. पी 437 के सीमा रेखा मुनारा क्र. 68 एवं 68 से 67 तक.
		योग	**4**	**29.310**		
	हल्बासिकसोड़ "डी"	2 हल्बासिकसोड़	6	2.540	**उत्तर :**	कृत्रिम सीमा रेखा के सर्वे मुनारा क्र. 3 से 6 तक.
					पूर्व :	कृत्रिम सीमा रेखा के सर्वे मुनारा क्र. 6 से 7 तक.
					दक्षिण :	कृत्रिम सीमा रेखा के सर्वे मुनारा क्र. 7 से 1 तक.
					पश्चिम :	कृत्रिम सीमा रेखा के सर्वे मुनारा क्र. 1 से 3 तक.
		योग	**1**	**2.540**		
			14	**191.630**		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. टी. नंदी, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2012

क्रमांक एफ 5-33/2009/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-33/2009/10-2, दिनांक 05-12-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. टी. नंदी, विशेष सचिव.

Raipur, the 5th December 2012

No. F 5-33/2009/10-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (Central Act, No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute land specified in the Schedule below with the situation and limits as specified in column (6) of said Schedule, as reserve forest, namely :—

SCHEDULE

District-Kanker, Tehsil-Antagarh, Forest Division-East Bhanupratappur, Forest Range-Antagarh

S. No.	Name of Forest Block	Patwari Halka No. and Revenue Village where Block situated	Khasara Nos.	Area in Hectare	Situation/Limit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	Halbasiksor "A"	2 Halbasiksor	19	0.150	North :	Artificial Boundary line Survey pillar No. 1 to pillar No. 3.
			41	32.400	East :	Artificial Boundary line Survey pillar No. 3 to pillar No. 17.
			151	23.400	South :	Artificial Boundary line Survey pillar No. 17 to pillar No. 29.
			152	39.090	West :	Artificial Boundary line Survey pillar No. 29 to pillar No. 35 & 35 to 1.
			169	1.500		
		Total	**5**	**96.240**		
	Halbasiksor "B"	2 Halbasiksor	301	0.150	North :	Artificial Boundary line Survey pillar No. 1 to pillar No. 10.
			302	28.400	East :	Artificial Boundary line Survey pillar No. 10 to pillar No. 20.
			303	16.500	South :	Artificial Boundary line Survey pillar No. 20 to pillar No. 24.
			321	18.490	West :	Artificial Boundary line Survey pillar No. 24 to 31 & 31 to 1.
		Total	**4**	**63.540**		
	Halbasiksor "C"	2 Halbasiksor	11	0.950	North :	PF Halbasiksor Comptt no. P 437 Boundary line Pillar No. 67, 67 to artificial boundary line Survey pillar No. 1 & 1 to 4.
			72	0.650	East :	Artificial Boundary line Survey pillar No. 4 to 6.
			73	0.100	South :	Artificial Boundary line Survey pillar No. 6 to 10.
			102	27.610	West :	Artificial Boundary line Survey pillar No. 10 to 14 & 14 to PF Halbasiksor Comptt No. P 437 boundary line Pillar No. 68, 68 to 67.
		Total	**4**	**29.310**		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
	Halbasiksor "D"	2 Halbasiksor	6	2.540	North :	Artificial Boundary line Survey pillar No. 3 to pillar No. 6.
					East :	Artificial Boundary line Survey pillar No. 6 to pillar No. 7.
					South :	Artificial Boundary line Survey pillar No. 7 to pillar No. 1.
					West :	Artificial Boundary line Survey pillar No. 1 to pillar No. 3.
		Total	**1**	**2.540**		
		G. Total	**14**	**191.630**		

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. T. NANDY, Special Secretary.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2012

क्रमांक एफ 7-29/2012/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उप धारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 04-08-2012 द्वारा नया रायपुर विकास योजना 2031 में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

नया रायपुर विकास योजना 2031 में उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा (हेक्टर में)	विकास योजना अंगीकृत प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23-क के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	धरमपुरा प.ह.नं. 115	278/1, 312 का भाग, 321	11.45 हेक्टेयर	मार्ग (यातायात)	आवासीय

2. उक्त प्रस्तावित उपांतरण विशेष आवासीय योजना की स्थापना के प्रयोजन के लिए है.

3. सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् विचारोपरांत अमान्य करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा नया रायपुर विकास योजना 2031 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण नया रायपुर विकास योजना 2031 का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एलेक्स पॉल मेनन, उप-सचिव.

कृषि विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2012

क्रमांक एफ 3-9/2012/14-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ उद्यानिकी अराजपत्रित (लिपिक वर्गीय) सेवा में भर्ती से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ उद्यानिकी अराजपत्रित (लिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 2012 है ।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगें।

2. **परिभाषाए.** – इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;—

(क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, ऐसे प्राधिकारी जिसे शासन द्वारा सेवा या पद पर नियुक्ति करने की शक्तियां सौंपी गई हों या इसके पश्चात् सौंपी जाएं;

(ख) "समिति" से अभिप्रेत है, अनुसूची–तीन के कॉलम (6) तथा अनुसूची–चार के कॉलम (5) के अनुसार नियुक्ति या पदोन्नति के लिए अभ्यर्थियों के चयन हेतु गठित समिति;

(ग) "चयन" से अभिप्रेत है, इस नियमों के नियम–11 के अधीन सेवा में भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षा या साक्षात्कार द्वारा चयन;

(घ) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन;

(ङ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

(च) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों के संलग्न अनुसूची;

(छ) "अनुसुचित जाति" से अभिप्रेत है भारत संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(ज) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(झ) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ 8–5–पच्चीस–4–84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(ञ) "सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ उद्यानिकी अराजपत्रित (लिपिक वर्गीय) सेवा;

(ट) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य।

3. **विस्तार तथा लागू होना.**– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन.**– सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:–

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनूसूची–एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल या स्थानापन्न हैसियत में धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किए गये हों; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गये हों।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.**– सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या और उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची–एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगा:

परन्तु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, समय–समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी।

6. **भर्ती का तरीका.**– (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात्:–

(क) प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा अथवा मेरिट तथा साक्षात्कार के आधार पर चयन द्वारा;

(ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (3) मे विनिर्दिष्ट है;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में, ऐसे पदों को, मूल/स्थानापन्न हैसि्यत में धारण करते हों, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये।

(2) उप–नियम (1) के खण्ड (ख) एवं (ग) के अधीन भर्ती किए गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची–एक में यथाविनिर्दिष्ट पदों की संख्या के, अनुसूची–दो में यथा दर्शित प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, शासन के परामर्श से अवधारित की जाएगी।

(4) उप–नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप–नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किए गये आदेश द्वारा विहित करे।

(5) मेरिट के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा पदों को भरे जाने के लिए, मापदण्ड शासन द्वारा विहित किंये जायेंगे, तथापि, नियुक्ति प्राधिकारी के लिये यह आवश्यक होगा कि इस प्रयोजन के लिए, एक चयन समिति गठित करे, जो इन मापदण्डों से भिन्न कोई अन्य युक्तिसंगत मापदंड शासन की सहमति से अपना सकेगी।

(6) भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

7. **सेवा में नियुक्ति.**– इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें.**– परीक्षा/चयन में स्पर्धा हेतु पात्र होने के लिए, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात्:–

(एक) **आयु**– (क) परीक्षा/चयन के प्रारंभ होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी ने अनुसूची–तीन के कॉलम (3) में

यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिल होगी:—

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ का स्थायी/अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों एवं कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी संपूर्ण (अस्थायी) सेवा की अधिक से अधिक 7 (सात) वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 (तीन) वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण— शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाइयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः मास की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने

या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ड.) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 (तीन) वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :– शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी किया गया हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो:–

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें–

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।

(तीन) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक;

(चार) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं);

(पांच) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः मास से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो;

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो।

(च) परिवार कल्याण (योजना) कार्यक्रम के अधीन ग्रीन कार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में भी, उच्चतर आयु सीमा 2 (दो) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग विकास विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 (पाँच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) शहीद राजीव पांडे सम्मान, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 (पाँच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(झ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(ञ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नान कमीशंड अधिकारियों के संबंध में, उनके द्वारा इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिये, उच्चतर आयु सीमा में, 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 (अड़तीस) वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टीप– (1) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उपरोक्त खण्ड (घ) के उप–खण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, वे यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले में आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेगी, विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(ट) आयु सीमा के संबंध में, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(ठ) उपरोक्त उल्लिखित एक या एक से अधिक संवर्ग के अंतर्गत आयु में छूट दिये जाने के उपरांत, शासकीय सेवा हेतु पात्र होने के लिये अधिकतम आयु किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(दो) **शैक्षणिक अर्हता**– अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए, जैसी अनुसूची–तीन में दर्शित है।

(तीन) **फीस**–अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यथा विहित फीस का भुगतान करना होगा।

9. **निरर्हता.**– अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिये उसे निरर्हित माना जा सकेगा।

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.**– परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिए अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में, नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और कोई भी अभ्यर्थी जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

11. चयन/प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती.– (1) प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती– नियुक्ति प्राधिकारी तीन सदस्यों को मिलाकर एक चयन समिति गठित करेगा।

(एक) सेवा में भर्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा, ऐसे अंतरालों से ली जायेगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी. शासन के परामर्श से, समय–समय पर अवधारित करे।

(दो) परीक्षा, शासन द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ली जायेगी।

(2) **चयन द्वारा सीधी भर्ती–** (एक) सेवा में सीधी भर्ती के लिए चयन, ऐसे अंतरालों से किया जायेगा जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय–समय पर अवधारित करे;

(दो) सेवा के लिये अभ्यर्थियों का चयन, चयन समिति द्वारा किया जायेगा;

(तीन) चयन समिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर गठित की जायेगी।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के लिये, सीधी भर्ती के प्रक्रम में पदों को, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों तथा शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार आरक्षित रखा जाएगा।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिए उसी कम में विचार किया जायेगा जिस कम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उन अभ्यर्थियों को जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त घोषित

किया गया हो, उप–नियम (3) के अधीन, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(6) सीधी भर्ती के प्रक्रम में, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जाएंगे।

(7) ऐसे मामलों में जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाये कि आरक्षित पदों पर भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों की अपेक्षित अनुभव के साथ, पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो–नियुक्ति प्राधिकारी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

(8) निःशक्त अभ्यर्थियों के लिये सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार आरक्षण लागू होगा।

12. **चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची.–** (1) चयन समिति, उन अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में व्यवस्थित एक सूची जो ऐसे स्तर से अर्हित हो, जैसा कि चयन समिति द्वारा अवधारित किया जाये तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये चयन समिति द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया हो, तैयार करेगी और नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी। यह सूची, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जायेगी।

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जाएगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।

(3) सूची में अभ्यर्थियों का नाम शामिल किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिये कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.**– (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिये एक समिति गठित की जायेगी जिसमें अनुसूची–चार के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट सदस्य सम्मिलित होंगे:

परंतु इस उप–नियम के अधीन, समिति के गठन के प्रयोजन के लिये, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंधों का भी अनुसरण किया जायेगा।

(2) समिति की बैठक ऐसे अंतरालों में होगी जो साधारणतः एक वर्ष से अनधिक हो।

(3) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार पदोन्नति दी जायेगी।

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।

14. **पदोन्नति/स्थानान्तरण के लिये पात्रता की शर्तें.**– समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों में जिनसे पदोन्नति की जानी है या शासन द्वारा उनके समतुल्य घोषित किन्हीं अन्य पद या पदों पर (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में) उतने वर्षों की सेवा, जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो और उप–नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों।

स्पष्टीकरण– (1) **पदोन्नति के लिये पात्रता हेतु संगणना की रीति**– संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जायेगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग , के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(2) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंध के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण दिया जायेगा।

(3) शासन द्वारा विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति दी जायेगी।

15. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची का तैयार किया जाना.**– (1) विभागीय पदोन्नति समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो उपर्युक्त नियम 15 में विहित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो, यह सूची, चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति एवं पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी।

(2) ऐसी सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु चयन, मेरिट तथा सभी प्रकार से उपयुक्तता (वरिष्ठता–सह–उपयुक्तता) के आधार पर किया जायेगा।

(3) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अनुसार चयन सूची की तैयारी के समय, सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के नाम, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे।

स्पष्टीकरण– ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में शामिल किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, वरिष्ठता का कोई दावा नहीं होगा।

16. **चयन सूची.**– (1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से, अनुसूची–चार के कॉलम (3) में उल्लिखित पदों पर, सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिये चयन सूची होगी।

(2) पदोन्नति के लिये चयन सूची, सामान्यतः इसके तैयार किये जाने की तारीख से कैलेण्डर वर्ष के 31 दिसम्बर तक विधिमान्य रहेगी:

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्य के निर्वहन अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, शासन के कहने पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि वह उचित समझे तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

17. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**– (1) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्तियां, उसी क्रम में की जायेंगी, जिस क्रम में उनके नाम छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधान के अनुसार सूची में आये हों।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करता हो।

18. **परिवीक्षा.**– सेवा में सीधे अथवा पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

19. **निर्वचन.**– यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्‌भूत हो, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

20. **शिथिलीकरण.**– इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परंतु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

21. **निरसन एवं व्यावृत्ति.**– इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्‌द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

(2) इन नियमों में अन्तर्विष्ट कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये, राज्य शासन द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी

किये गये निर्देशों/आदेशों के अनुसार दिये जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, शिथिलीकरण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सिंह, अवर सचिव.

अनुसूची–एक
(नियम 5 देखिये)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	कुल पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	अधीक्षक	1	तृतीय श्रेणी	9300–34800 ग्रेड वेतन 4300	
2.	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	1	तृतीय श्रेणी	9300–34,800 ग्रेड वेतन 4300	
3.	सहायक ग्रेड–1	21	तृतीय श्रेणी	5200–20200 ग्रेड वेतन 2800	
4.	शीघ्रलेखक	3	तृतीय श्रेणी	5200–20200 ग्रेड वेतन 2400	
5.	लेखापाल/सहायक ग्रेड–2	39	तृतीय श्रेणी	5200–20200 ग्रेड वेतन 2400	
6.	सहायक ग्रेड–3	117 (37 पद सांख्येतर)	तृतीय श्रेणी	5200–20200 ग्रेड वेतन 1900	
7.	वाहन चालक/ट्रेक्टर चालक	12	तृतीय श्रेणी	5200–20200 ग्रेड वेतन 1900	

अनुसूची–दो
(नियम 6 देखिये)

स. क्र.	सेवा/पद का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों का प्रतिशत		अन्य सेवा से व्यक्ति के स्थानान्तरण द्वारा (नियम 6 (1) (ग) देखिये)
			सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6 (1) (क) देखिये)	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा (नियम 6 (1) (ख) देखिये)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	अधीक्षक	1	–	100 %	–
2.	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	1	–	–	सांख्यिकीय सेवा से प्रतिनियुक्ति द्वारा
3.	सहायक ग्रेड–1	21	25 %	75%	–
4.	शीघ्रलेखक	3	100 %	–	–
5.	लेखापाल/सहायक ग्रेड–2	39	–	100 %	–
6.	सहायक ग्रेड–3	117 (37 पद सांख्येतर)	75 %	25 %	–
7.	वाहन चालक/ट्रेक्टर चालक	12	100 %	–	–

अनुसूची–तीन
(नियम 8 देखिये)

स. क्र.	सेवा/पदों के नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं	चयन समिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	शीघ्रलेखक	18 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हेतु 35 वर्ष)	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/विश्वविद्यालय से हायर सेकेण्डरी या (10+2) उत्तीर्ण या स्नातक पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। (2) किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था या शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परिषद् से:– (क) हिन्दी शीघ्रलेखक के लिए हिन्दी शीघ्रलेखन तथा कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन क्रमशः 100 शब्द प्रति मिनट तथा 30 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण। (ख) अंग्रेजी शीघ्रलेखक के लिए अंग्रेजी शीघ्रलेखन तथा कम्प्यूटर में अंग्रेजी टाईप लेखन क्रमशः 100 शब्द प्रति मिनट तथा 35 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण। (ग) द्विभाषी शीघ्रलेखक के लिये ऊपर खण्ड (क) तथा (ख) में यथा विनिर्दिष्ट हिन्दी तथा अंग्रेजी शीघ्रलेखन एवं कम्प्यूटर में टाईप लेखन का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम उत्तीर्ण। (3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र होना चाहिए तथा डाटा एण्ट्री में 10,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए।	संचालक उद्यानिकी द्वारा नाम निर्देशित (1) संयुक्त संचालक, उद्यानिकी– अध्यक्ष (2) उप संचालक, उद्यानिकी– सदस्य (3) संचालक द्वारा नाम निर्देशित एक सदस्य जो अनुसूचित जातियों/जनजातियों का होगा – सदस्य
2.	सहायक ग्रेड–3	–तदैव–	–तदैव–	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय	

				डिप्लोमा/प्रमाणपत्र होना चाहिए, तथा (3) हिन्दी कम्प्यूटर टायपिंग में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिये।	
3.	वाहन चालक/ट्रेक्टर चालक	–तदैव–	–तदैव–	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से कक्षा आठवीं उत्तीर्ण होना चाहिए। (2) वैध चालक अनुज्ञप्ति होना चाहिए तथा हल्के मोटरयान/ट्रेक्टर चालन का अनुभव।	

अनुसूची--चार
(नियम 14 देखिये)

स. क्र.	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पद के लिये पात्रता हेतु अनुभव की न्यूनतम कालावधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सहायक ग्रेड–1	अधीक्षक	5 वर्ष	संचालनालय स्तर पर संचालक द्वारा नामनिर्देशित (1) संयुक्त संचालक उद्यानिकी– अध्यक्ष (2) उप संचालक उद्यानिकी– सदस्य (3) संचालक द्वारा नाम निर्देशित एक सदस्य जो अनुसूचित जातियों/जनजातियों का होगा– सदस्य	(1) संचालनालय के सहायक ग्रेड–2 एवं सहायक ग्रेड–3 की वरिष्ठता संचालनालय स्तर पर संधारित की जायेगी। सहायक ग्रेड–2 एवं अधीक्षक की वरिष्ठता राज्य स्तर पर संधारित की जायेगी। (2) छत्तीसगढ़ शासन के दिशा निर्देश के अनुसार।
2.	सहायक ग्रेड–2	सहायक ग्रेड–1	5 वर्ष	–तदैव–	
3.	सहायक ग्रेड–3	सहायक ग्रेड–2	5 वर्ष	–तदैव–	
4.	चतुर्थ श्रेणी (भृत्य/माली)	सहायक ग्रेड–3	5 वर्ष (हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण या 10+2 उत्तीर्ण तथा चतुर्थ श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा)	–तदैव–	(1) संचालनालय के भृत्य की वरिष्ठता संचालनालय स्तर पर संधारित की जायेगी। (2) छत्तीसगढ़ शासन के दिशा निर्देश के अनुसार।
5.	सहायक ग्रेड–2	सहायक ग्रेड–1	5 वर्ष	संभाग स्तर पर संचालक द्वारा नामनिर्देशित (1) संयुक्त संचालक उद्यानिकी– अध्यक्ष (2) संभाग/जिले का उप संचालक/सहायक संचालक – सदस्य (3) संचालक द्वारा नाम निर्देशित एक सदस्य जो अनुसूचित जातियों/जनजातियों का होगा– सदस्य	जिले के सहायक ग्रेड–2 एवं सहायक ग्रेड–3 की वरिष्ठता संभाग स्तर पर संधारित की जायेगी। (2) छत्तीसगढ़ शासन के दिशा निर्देश के अनुसार।

6.	सहायक ग्रेड–3	सहायक ग्रेड–2	5 वर्ष (हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण या 10+2 उत्तीर्ण तथा चतुर्थ श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा)		
7.	चतुर्थ श्रेणी (भृत्य / माली)	सहायक ग्रेड–3	5 वर्ष		जिले के भृत्य की वरिष्ठता संभाग स्तर पर संधारित की जायेगी। (2) छत्तीसगढ़ शासन के दिशा निर्देश के अनुसार।

Raipur, the 6th December 2012

No. F 3-9/2012/14-1.--- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules, relating to the recruitment of the Chhattisgarh Horticulture Non-Gazetted (Ministerial) Service, namely :---

RULES

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Chhattisgarh Horticulture Non-Gazetted (Ministerial) Service Recruitment Rules, 2012.
   (2) These rule shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.-** In these rules, unless the context otherwise requires,-
   (a) "Appointing Authority" in respect of a service means such authority to whom the powers of appointment to the service or post has been conferred by Government or may be conferred later;
   (b) "Committee" means the Committee constituted for selection of the candidates for the appointment or promotion as per column (6) of Schedule-III and column (5) of Schedule-IV;
   (c) "Selection" means the selection by the competitive examination or interview held for recruitment to the service under rule 11 of these rules;
   (d) "Government" means the Government of Chhattisgarh;
   (e) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh;
   (f) "Schedule" means the Schedule appended to these rules;
   (g) "Scheduled Castes" means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;
   (h) "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;
   (i) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government, vide Notification No. F-8-5 XXV-4-84, dated the 26th December, 1984 as amended from time to time;
   (j) "Service" means the Chhattisgarh Horticulture Non-Gazetted (Ministerial) Service;
   (k) "State" means the State of Chhattisgarh;

3. **Scope and Application.-** Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. **Constitution of the service.-** The service shall consist of the following persons, namely:-
   (a) Persons, who at the time of commencement of these rules are holding substantively the posts specified in Schedule-I;
   (b) Persons, recruited to the service before the commencement of these rules; and
   (c) Persons, recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification scale of pay etc.-** The classification of the service, the number of post included in the service and the scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

   Provided that, the Government may, from time to time, add or reduce the number of posts included in the service and pay scale, either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of recruitment.-** (1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely:-

   (a) By direct recruitment on the basis of competitive examination or by selection on the basis of merit and interview;
   (b) By promotion of the members of the service as specified in column (2) of Schedule-IV;
   (c) By transfer/deputation of the persons who hold in a substantive/officiating capacity such posts in such services, as may be specified in this behalf.

   (2) The number of persons recruited under clause (b) or (c) of sub-rule (1) shall not at any time, exceed the percentage as shown in Schedule-II of the number of posts as specified in Schedule-I.

   (3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method shall be determined on each occasion by the Appointing Authority in consultation with the Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Appointing Authority, the exigencies of the service so requires, the Appointing Authority may, with the prior concurrence of the General Administrative Department, adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) For the post to be filled up by direct recruitment on the merit basis, the criteria (norms) shall be prescribed by the Government, however it shall be mandatory for Appointing Authority to constitute a Selection Committee for this purpose, which may adopt any other appropriate norms other than these norms with the consent of the Government.

(6) At the time of recruitment the provisions of Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon aur Anya Pichhade Vargon ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the direction issued by the General Administrative Department form time to time shall also be applicable.

7. **Appointment in the service.-** All appointments in the service after commencement of these rules shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment.-** In order to be eligible to compete at the examination/selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely:-

(I) Age- (a) A candidate must have attained the age as specified in column (3) of Schedule-III and not have attained the age specified in column (4) of said Schedule on the first day of January next following the date of commencement of the examination/selections;

(b) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 5 years if a candidate belongs to Scheduled Castes or Scheduled Tribes and Other Backward Classes;

(c) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 10 years to women candidate, as per provision of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rule, 1997;

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates, who are or have been employees of the Government of Chhattisgarh to the extent and subject to the conditions specified below:-

(i) A candidate, who is permanent/temporary Government servant should not be more than 38 years of age;
(ii) A candidate holding a post temporary and applying for another post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the Project Implementation Committee;
(iii) A candidate, who is a "retrenched Government servant" shall be allowed to deduct from his age the period of all (temporary) service previously rendered by him upto a maximum of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years;

Explanation- The term "retrenched Government servant" denotes a person who was in temporary Government Service of this State or of any of the constituent units for a continuous period of not less that 6 months and who was discharged because of reduction in establishment not more than 3 years prior to the date of his registration at the employment exchange or application made otherwise for employment in Government Service.

(e) A candidate, who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defense services previously rendered by him provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years.

Explanation- The term "Ex-serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than 6 months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than 3 years before the date of his registration at the Employment Exchange or application made otherwise for employment in Government Service:-

(i) Ex-serviceman released under mustering out concessions;
(ii) Ex-serviceman enrolled for the second time and discharged on-
  (a) completion of short-term engagement,
  (b) fulfilling the conditions of enrolment;
(iii) Ex-personnel of Madras Civil Units;
(iv) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service Regular Commissioned Officers);

(v) Officers discharged after working for more than 6 months continuously against leave vacancies;

(vi) Ex-serviceman discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(vii) Ex-serviceman who are medically boarded out on account of gunshot wounds etc;

(viii) Ex-serviceman invalidated out of service.

(f) The upper age limit shall be relaxable up to 2 years in respect of Green Card holder candidates under Family Welfare (Planning) Programme.

(g) The upper age limit shall be relaxable upto 5 years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the Inter-caste Marriage Incentive Scheme of the Scheduled Tribes. Scheduled Castes and Other Backward Classes Development Department.

(h) The general upper age limit shall also be relaxable upto a maximum of 5 years in respect of the Shahid Rajeev Pandey Award, Gundadhur Award, Maharaja Praveer Chand Bhanjdev Award holder candidates and National Youth Award holder Young Candidates.

(i) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 38 years of age in respect of the candidates who are employees of the Chhattisgarh State/ Corporations/Boards.

(j) The upper age limit shall be relaxed in the case of voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guard for the period of Home Guard Service rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years.

Note- (1) Candidates who are admitted to the examination/selection under the age concessions mentioned in sub-clause (i) and (ii) of clause (d) above shall not be eligible for appointment, if after submitting the application, they resign from service either before or after examination/selection. They will, however continue to be eligible, if they are retrenched from the service or post after submitting the application.

(2) In no other case these age limits be relaxed, departmental candidates must obtain previous permission of the Appointing Authority to appear for the examination/selection.

(k) In respect of age limit, the direction issued by the General Administration Department from time to time, shall also be applicable.

(l) In any case the maximum age to get eligible for Government service shall not exceed 45 years irrespective of age relaxation under one or more than one category mentioned above.

(II) **Educational Qualifications**- The candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule-III.

(III) **Fee**- The candidate must pay the fees as prescribed by the Appointing Authority.

9. **Disqualification.**- Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Appointing Authority to disqualify him for appearing in the examination/selection.

10. **Appointing Authority's decision about the eligibility of the candidates shall be final.**- The decision of the Appointing Authority as to eligibility or otherwise of a candidate for appearing in examination/selection shall be final and no candidate, to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority shall be allowed to appear in the examination/interview.

11. **Direct recruitment by competitive examination/selection.**- (1) Direct recruitment by competitive examination- Appointing Authority shall constitute a Selection Committee consisting of three members.

(i) The competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority may, in consultation with the Government, from time to time, determine.

(ii) The examination shall be held by the Selection Committee in accordance with the orders issued by the Appointing Authority from time to time.

(2) Direct recruitment by Selection– (i) The selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority may, from time to time, determine.

(ii) The selection of candidates for the service shall be made by the Selection Committee.

(iii) The Selection Committee shall be constituted by the Appointing Authority from time to time.

(3) There shall be reserved posts for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, at the stage of direct recruitment, in accordance with the provisions contained in the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon aur Anya Pichhade Vargon ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and order issued by the Government from time to time.

(4) In filling up the vacancies so reserved, the candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12, irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes declared by the Appointing Authority to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be, under sub-rule (3).

(6) At the stage of direct recruitment, 30 percent posts shall be reserved for the woman candidates in accordance with the provision of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.

(7) In such cases, where certain period of experience has been prescribed as an essential condition for the posts to be filled by direct recruitment and in the opinion of the Competent Authority, it is found that the sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, is not likely to be available, then the Competent Authority may relax the condition of experience to the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(8) Reservation for physically disabled candidates shall be applicable as per the directions issued by the General Administration Department from time to time.

12. **List of candidates recommended by the Selection Committee.-** (1) The Appointing Authority shall prepare a list arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards, as may be determined by the Selection Committee and a list of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by the such standard, but are declared by the Selection Committee to be suitable for appointment to the service, with due regard to the maintenance of efficiency of administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidates name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respect for appointment to the service.

13. **Appointment by promotion.-** (1) There shall be constituted a Committee consisting of the members specified in column (5) of Schedule-IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates:

Provided that for the purpose of constitution of Committee under this sub-rule, the provisions of Section 8 of Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon aur Anya Pichhade Vargon ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) shall also be adhered to.

(2) The Committee shall meet at such intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) Promotion shall be made in accordance with the provision of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(4) Procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be made in accordance with the instructions issued by the Government of Chhattisgarh, General Administration Department from time to time.

14. **Conditions of eligibility for Promotion/Transfer.-** (1) The Committee shall consider the cases of all persons, who on the first day of January of that year had completed such number of years of the service (whether officiating or substantive) in the posts, from which promotion is to be made or any other post or posts declared equivalent thereto by the Government, as specified in column (4) of Schedule-IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Explanation- Manner of computation for eligibility for promotion- The calculation of period of qualifying service on 1st January of the relevant year in which Departmental Promotion Committee/Scrutiny Committee is convened shall be counted from the calendar year in which the public servant has joined the feeder cadre/part of service/pay scale of the post and not from the date of joining of the feeder cadre/part of service/pay scale of post.

(2) The reservation in promotion shall be made in accordance with the provision of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.
(3) Promotion shall be made as per reservation roster prescribed by the Government.

15. Preparation of list of suitable candidates.- (1) The Departmental Promotion Committee shall prepare a list of such persons who satisfy the conditions prescribed in rule 15 above and as are held by the Committee to be suitable for promotion to the service, the list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and the promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list.
(2) The selection for inclusion in such list shall be based on merit and suitability (seniority subject to fitness) in all respects.
(3) The names of employees included in the list shall be arranged in the order of seniority in the service or posts as specified in column (2) of Schedule-IV at the time of preparation of select list as per the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961.
Explanation- The person, whose name is included in select list but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim of seniority over those persons considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

16. Select list.- (1) The list as finally approved by the Appointing Authority shall be the Select list for promotion of the members of the service from the posts mentioned in column (2) of Schedule-IV to the posts as mentioned in column (3) of the Schedule-IV.

(2) The Select list for promotion shall be ordinarily valid up to 31st December of the calendar year from the date of its preparation:

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list, may be made at the instance of the Government and he may, if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

17. Appointment to the service from the select list.- (1) Appointment of the persons included in the select list shall be made to the posts borne on the cadre in the order in which their names appear in the list in accordance with the provision of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the committee before appointment of a person, whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of proposed appointment, there occurs any deterioration in his work which, in the opinion of the Appointing Authority is such as to render him unsuitable of appointment to the service.

18. **Probation.-** Every person recruited directly or by promotion to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

19. **Interpretation.-** If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government, whose decision thereon shall be final.

20. **Relaxation.-** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner, as may appear to it to be just and proper:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favorable to him than that provided in these rules.

21. **Repeal and saving.-** (1) All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

(2) Nothing contained in these rules shall affect reservation, relaxation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the instructions/orders issued by the State Government from time to time in this regard.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. SINGH, Under Secretary.

SCHEDULE-I

(See rule 5)

S.No.	Name of the Post included in the Service	Total number of posts	Classification	Scale of pay	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Superintendent	1	Class-III	9300-34800 Gr. Pay 4300	
2.	Assistant Statistic Officer	1	Class-III	9300-34800 Gr. Pay 4300	
3.	Assistant Grade-I	21	Class-III	5200-20200 Gr. Pay 2800	
4.	Stenographer	3	Class-III	5200-20200 Gr. Pay 2400	
5.	Accountant/ Assistant Grade-II	39	Class-III	5200-20200 Gr. Pay 2400	
6.	Assistant Grade-III	117 (37 post super numerical)	Class-III	5200-20200 Gr. Pay 1900	
7.	Driver/ Tractor Driver	12	Class-III	5200-20200 Gr. Pay 1900	

SCHEDULE-II

(See rule 6)

S. No.	Name of the Service/Post	Total Number of duty posts	Percentage of the duty posts to be filled in		By transfer of person from other service {See rule 6 (1)(c)}
			By direct recruitment {See rule 6 (1)(a)}	By promotion of the members of the Service {See rule 6 (1)(b)}	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Superintendent	1	-	100%	-
2.	Assistant Statistic Officer	1	-	-	by deputation from Statistics service
3.	Assistant Grade-I	21	25%	75%	-
4.	Stenographer	3	100%	-	-
5.	Accountant/ Assistant Grade-II	39	-	100%	-
6.	Assistant Grade-III	117 (37 post super numerical)	75%	25%	-
7.	Driver/Tractor Driver	12	100%	-	-

SCHEDULE-III

(See rule 8)

S. No.	Name of the Service /Posts	Minimum age limit	Maximum age limit	Prescribed Educational Qualifications	Selection Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Stenographer	18 year	30 year (35 year for domicile resident of Chhattisgarh State)	(i) Should have passed Higher Secondary Examination or (10+2) or passed 1st year Graduation course from any recognized Board/University. (ii) From any recognized Board/Institution or Shorthand and Typing Council:- (a) Passed Hindi Shorthand and Hindi Typing in Computer with speed of 100 wpm and 30 wpm respectively for Hindi Stenographer. (b) Passed English Shorthand and English Typing in Computer with speed of 100 wpm and 35 wpm respectively for English Stenographer. (c) Passed certificate course of Hindi and English Shorthand and Typing in computer as specified in clause (a) and (b) above for bi-lingual Stenographer. (iii) Should have one year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute and should have speed of 10,000 key depression per hour in data entry.	Nominated by Director Horticulture (1) Joint Director, Horticulture-President (2) Deputy Director, Horticulture-Member (3) One member nominated by Director who shall be of Schedule Castes/Tribes-Member

Assistant Grade III	-do-	(i) Should have passed (10+2) examination from any recognized Board. (ii) Should have one year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized Institute; and (iii) Should have speed of data entry 5,000 key depression per hour in Hindi computer typing.	
Driver/ Tractor Driver	-do-	(i) Must have passed Class VIII from any recognized Board. (ii) Must also possess a valid driving license and experience of driving of Light Motor Vehicle/Tractor.	

SCHEDULE-IV

(See rule 14)

S. No.	Name of the post from which promotion is to be made	Name of the posts to which promotion is to be made	Minimum experience period for eligibility for post	Name of members of Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Assistant Grade-I	Superintendent	5 years	On level of Directorate Nominated by Director (i) Joint Director Horticulture-Chairman (ii) Deputy Director Horticulture-Member (iii) One member nominated by Director who shall be of Scheduled Castes/ Tribes-Member	(i) Seniority of Assistant Grade -III and Assistant Grade-II of Directorate shall be maintained at Directorate level. Seniority of Assistant Grade-I and Superintendent shall be maintained at State level. (ii) According to guidelines of Government of Chhattisgarh.
2.	Assistant Grade-II	Assistant Grade-I	5 year	--do--	
3.	Assistant Grade-III	Assistant Grade-II	5 year	--do--	
4.	Class-IV (Peon/ Mali)	Assistant Grade-III	5 year (Higher Secondary passed on 10+2 passed and 5 year regular service in the Class-IV)	--do--	(i) Seniority of Peon of Directorate shall be maintained at Directorate level. (ii) According to guidelines of Government of Chhattisgarh.
5.	Assistant Grade-II	Assistant Grade-I	5 year	On level of Division Nominated by director (i) Joint Director Horticulture-Chairman (ii)Deputy Director /Assistant Director of Division/District-Member (iii) One member nominated by Director who shall be of Scheduled Castes/ Tribes-Member	(i) Seniority of Assistant Grade-III and Assistant Grade-II of District shall be maintained at Division level. (ii) According to guidelines of Government of Chhattisgarh.

6.	Assistant Grade-III	Assistant Grade-II	5 year	--do--	
7.	Class-IV (Peon/ Mali)	Assistant Grade-III	5 year (Higher Secondary passed on 10+2 passed and 5 year regular service in the Class-IV)	--do--	(i) Seniority of Peon of District shall be maintained at Division Level. (ii) According to guidelines of Government of Chhattisgarh.

रायपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2012

क्रमांक एफ 3-10/2012/14-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ उद्यानिकी सेवा की स्थापना में चतुर्थ श्रेणी सेवा की भर्ती की पद्धति तथा क्षेत्र को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—**
   (1) ये नियम छत्तीसगढ़ उद्यानिकी सेवा (चतुर्थ श्रेणी) सेवा भर्ती नियम, 2012 कहलायेंगे.
   (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **लागू होना.—** ये नियम अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे.

3. **वर्गीकरण तथा वेतनमान इत्यादि.—** सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, पदों में भर्ती का तरीका, आयु सीमा और उक्त पदों के संबंध में सेवा की अन्य शर्तें अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे.

4. **शिथिलीकरण.—** इन नियमों में दी गई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

   परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो.

5. **व्यावृत्ति.—** इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, ऐसे शासकीय कर्मचारी जिसकी मृत्यु सेवावधि के दौरान हुई हो, के परिवार के किसी एक सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति, नि:शक्त तथा अन्य व्यक्तियों जो अन्य श्रेणियों से संबंधित हो, के लिये उपबंधित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी तथा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार होगी.

6. **निरसन.—** इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं:

   परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कोई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सिंह, अवर सचिव.

अनुसूची

सीधी भर्ती हेतु

स. क्र.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान तथा ग्रेड वेतन	भर्ती का तरीका सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	आयु सीमा न्यूनतम/अधिकतम	विहित शैक्षणिक अर्हता	परिवीक्षा परीक्षण की कालावधि, यदि कोई हो	क्या सीधी भर्ती के लिये विहित आयु सीमा तथा शैक्षणिक अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में पद जिनसे पदोन्नति स्थानान्तरण किया जायेगा	सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के लिये चयन समिति	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	प्रयोगशाला परिचारक	02	चतुर्थ श्रेणी	वेतन बैण्ड रु. 4750-7440+ ग्रेड वेतन रु. 1400	100% सीधी भर्ती द्वारा	18 से 30 वर्ष (छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए आयु 18 से 35 वर्ष तक)	विज्ञान में (12वीं) हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए	2 वर्ष	-	-	चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पद :— 1. संयुक्त संचालक, — अध्यक्ष उद्यानिकी. 2. संभाग/जिला उप- — सदस्य संचालक/सहायक संचालक. 3. संचालक द्वारा नाम — सदस्य निर्देशित एक सदस्य जो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का होगा.	
2.	भृत्य/चौकीदार	46	-तदैव-	वेतन बैण्ड रु. 4750-7440+ ग्रेड वेतन रु. 1300	-तदैव-	-तदैव-	5वीं उत्तीर्ण	-तदैव-	-	-	-तदैव-	
3.	माली	404+ 261 (सांख्येत्तर)	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-	-	-तदैव-	

Raipur, the 11th December 2012

No. F 3-10/2012/14-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules, regulating the method and field of recruitment of Class-IV services on the establishment of the Horticulture Services, namely :—

RULES

1. **Short title and commencement.—**
   (1) These rules may be called the Chhattisgarh Horticulture Services (Class-IV) Service Recruitment Rules, 2012.

   (2) These rules shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.—** These rules shall apply to the posts specified in column (2) of the Schedule.

3. **Classification and Scale of Pay etc.—** The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto, the method of recruitment to the posts, age limit and other conditions of service relating to the said posts shall be as specified in the Schedule.

4. **Relaxation.—** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person, to whom these rules apply in such manner, as may appear to it to be just and proper:

   Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

5. **Saving.—** Nothing in these rules shall affect reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, Ex-serviceman, compassionate appointment of a member of the family of a Government servant who has died in harness, disabled and other categories of persons in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

6. **Repeal.—** All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

   Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. SINGH, Under Secretary.

SCHEDULE

For Direct Recruitment

S. No.	Name of Post	Number of post	Classification	Scale of pay and Grade Pay	Method of Recruitment percentage of vacant posts to be filled by direct Recruitment or by promotion or by transfer and by different methods	Age limit Minimum/ Maximum	Prescribed Educational qualification	Period of probation trial if any	Whether in the case of promotion prescribed limit age and educational qualification to the direct recruitment will be apply	In case of recruitment by promotion or transfer post from which promotion/ transfer will be made	Selection Committee for direct recruitment and promotion	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Lab Attendant	02	Class-IV	Pay Band Rs. 4750-7440 + Grade Pay Rs. 1400	100% by direct Recruitment	18 to 30 years (Age for citizen of Chhattisgarh upto 18 to 35 years)	Should have passed Higher Secondary Examination on (12th) in Science	2 years	—	—	The post of Class- IV Category :— 1. Joint Director. — Chairman Horticulture. 2. Deputy Director/—Member Assistant Director of Division/District. 3. One member — Member nominated by the Director who shall be the Scheduled Castes/Scheduled Tribes.	
2.	Peon/ Chowkidar	46	-do-	Pay Band Rs. 4750-7440 + Grade Pay Rs. 1300	-do-	-do-	5th Pass	-do-	—	—	-do-	
3.	Mali	404+ 261 (Super-numerical)	-do-	-do-	-do-	-do-	-do-	-do-	—	—	-do-	

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 16 नवम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	कौंवाताल प. ह. नं. 26	2.952	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय, खरसिया.	केलो परियोजना अंतर्गत कौंवाताल माइनर नहर (आर. डी. 0 मी. से 1444 मी. तक) निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 16 नवम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	खोखरा प. ह. नं. 26	2.073	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा (अस्थायी मुख्यालय) खरसिया.	केलो परियोजना अंतर्गत खोखरा माइनर 1 नहर (आर. डी. 0 मी. से 891 मी. तक) निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 4 नवम्बर 2011

क्रमांक/क/वां./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./11/अ-82/वर्ष 08-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-रावांभाठा, प.ह.नं. 100
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.105 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	119/3	0.024
	120	0.081
योग	2	0.105

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- छोकरा नाला पर नये उच्च स्तरीय पुल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग क्रमांक-2, लो.नि.वि. रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2012

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./12/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-भाठागांव, प.ह.नं. 102
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2910 वर्गमीटर

	खसरा नम्बर	रकबा (वर्गमीटर में)
	(1)	(2)
	229/1	410
	229/2	400
	231/1	720
	231/2	170
	233/2	720
	234/1	490
योग		2910

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पहाड़ी तालाब कुशालपुर से रिंग रोड होकर खारून नदी (चिंगरी नाला) निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रमांक-2, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.